



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072

E-mail: cepwdua@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 464/118 सा0प्र0/2013


दिनांक 05 अप्रैल, 2014

: परिपत्र :

विभिन्न क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से स्वीकृति हेतु आगणन शासन को प्रेषित किये जाते हैं उनमें बहुधा यह देखने में आता है कि ड्रेनेज का प्राविधान उचित स्थान पर एवं सही प्रकार से नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप मार्ग निर्माण के पश्चात भी मार्ग में जल भराव की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण मार्ग की सतह से पानी लगातार बहने के कारण मार्ग शीघ्र जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा पुलिया/स्कपर के निर्माण से लोकेशन उचित स्थान पर न होने के कारण उस स्ट्रक्चर के निर्माण के पश्चात भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लोकेशन चयन में भी Up Stream गदरे की लोकेशन व Down Stream गदरे की लोकेशन व उसकी Connectivity पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।


अतः भविष्य में जो भी आगणन शासन को प्रेषित किये जायें उनमें ड्रेनेज/क्रास ड्रेनेज के प्राविधान का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय कि सम्बन्धित स्थानों पर साइट का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वयं किया जा चुका है तथा व आगणन में प्राविधानित ड्रेनेज/क्रास ड्रेनेज के प्राविधान से संतुष्ट है। यदि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कतिपय कारणों से साइट का निरीक्षण न हो पाये जो अधिशासी अभियन्ता स्वयं साइट का निरीक्षण करके तथा अधीक्षण अभियन्ता की सहमति लेते हुए तदनुसार प्रतिवेदन में अंकित करें कि अमुक स्थानों पर ड्रेनेज/क्रास ड्रेनेज का प्राविधान से संतुष्ट है व संस्तुत स्थान पर क्रास ड्रेनेज मार्क करते हुए प्लान में दर्शाया जाये। जिसे अधीक्षण अभियन्ता द्वारा Approve किया जाय। यदि आगणन के प्राविधान में उपरोक्तानुसार उल्लेख न किया गया, पाया गया, तो आगणन शासन से वापस लौटने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का पूर्ण उत्तरदायी होगा। इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।


(ललित मोहन)
प्रमुख अभियन्ता।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर- I/ II, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. गार्ड फाइल।


प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।
